

निवेशकों के लिए 4675 सुधार, 524 सेवाएं डिजिटल

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लागू किया गया ईन औरू हूंग बिजनेस प्लान अब एक राष्ट्रीय मॉडल बनता जा रहा है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत 4675 से अधिक सुधार लागू किए हैं। इनमें से 524 सेवाएं डिजिटल माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम में एकीकृत की जा चुकी हैं। ईन औरू हूंग बिजनेस को लेकर राज्य की प्रतिबद्धता और कार्यशैली ने पूरी की देश के अग्रणी निवेश संस्थानों में स्थापित किया है। इसने निवेशकों और उद्यमियों को न सिर्फ योजनाओं से जोड़ा बल्कि अनुमतिपत्रों की प्रक्रिया को भी सरल और समयबद्ध बनाया।

विभागों का समन्वय सेवाओं की समयबद्धता

सरकार ने 45 विभागों को इस अभियान से जोड़ा है, जिससे उद्योग, पर्यावरण, डिजली, प्रदूषण नियंत्रण, अत्यास, सिंचाई जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवाएं अब एकीकृत और टैक की जा सकने वाली बन चुकी हैं। जल्दित गारंटी अधिनियम के तहत 200 से अधिक सेवाएं शामिल की गई हैं, जिसके तहत अब व्यापार संबंधी अनुमतिपत्र, एनओसी, और लाइसेंस जारी करने की समग्र सीमा तय की गई है। सीएम हेल्थीड के माध्यम से अब सभी सेवाओं की निगरानी हो रही है।

विभाग दर विभाग इस तरह किए गए सुधार

सुधार की श्रेणी	संख्या	शामिल विभाग
व्यापार-क्रेडिट	2512	52
मानविक-क्रेडिट	1586	42
अपराधमुक्तिकरण	577	04

इन्वेस्ट यूपी की सक्रियता से प्रदेश बन रहा निवेशकों की पसंद

लखनऊ (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लान अब एक राष्ट्रीय मॉडल बनता जा रहा है।

यूपी में निवेश की नोडल इन्वेस्ट यूपी ने निवेशकों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे यूपी आज देश में

नवीनतम सुधारों को लागू करने वाला अग्रणी राज्य बन चुका है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत जो सुधार लागू किए गए हैं, उनकी मदद से एमएसएमई, स्टार्टअप्स और एफडीआई के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित हुआ है तो वहीं डिजिटल और उत्तरदायी प्रशासन की वजह से निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 4675 से अधिक सुधार लागू किए हैं, जिनमें से 524 सेवाएं डिजिटल माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम में एकीकृत की जा चुकी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर राज्य की प्रतिबद्धता और कार्यशैली ने यूपी को देश के

अग्रणी निवेश गंतव्यों में स्थापित किया है। इस प्रक्रिया में इन्वेस्ट यूपी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है, जिसने निवेशकों और उद्यमियों को न सिर्फ योजनाओं से जोड़ा बल्कि अनुमतियों की प्रक्रिया को भी सरल और समयबद्ध बनाया।

सरकार ने 45 विभागों को इस अभियान से जोड़ा है, जिससे उद्योग, पर्यावरण, बिजली, प्रदूषण नियंत्रण, आवास, सिंचाई जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवाएं अब एकीकृत और ट्रैक की जा सकने वाली बन चुकी हैं। जनहित गारंटी अधिनियम के तहत 200 से अधिक सेवाएं शामिल की गई हैं, जिसके तहत अब व्यापार संबंधी अनुमतियों, एनओसी, और लाइसेंस जारी करने की समय सीमा तय की गई है। राज्य में निवेश प्रोत्साहन और परियोजनाओं की सुगमता से क्रियान्वयन के लिए इन्वेस्ट यूपी ने 'सिंगल विंडो पोर्टल' को 524 से अधिक सेवाओं से जोड़कर निवेशकों को एक ही स्थान से सभी प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान की है।

■ निवेशकों की सुविधा के लिए उठाए गए हैं कई कदम

ईज आफ डूइंग बिजनेस में 524 सेवाओं का हुआ डिजिटलीकरण

लखनऊ। यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लान राष्ट्रीय मॉडल बनता जा रहा है। राज्य में प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवाएं, समयबद्ध अनुमति प्रक्रिया व विभागीय समन्वय के जरिये व्यापारिक माहौल को पहले से कहीं ज्यादा सुगम, सरल व पारदर्शी बनाया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 4675 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं, जिनमें से 524 सेवाएं डिजिटल माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम में

एकीकृत की जा चुकी हैं।

सरकार ने 45 विभागों को इस अभियान से जोड़ा है, जिससे उद्योग, पर्यावरण, बिजली, प्रदूषण नियंत्रण, आवास, सिंचाई जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवाएं अब एकीकृत और ट्रैक की जा सकने वाली बन चुकी हैं। जनहित गारंटी अधिनियम के तहत 200 से अधिक सेवाएं शामिल की गई हैं, जिसके तहत अब व्यापार संबंधी अनुमतियों, एनओसी और लाइसेंस जारी करने की समय सीमा तय की गई है। ब्यूरो